



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 32 राँची, गुरुवार, 9 माघ, 1947 (श०)
29 जनवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2025

संख्या-03/ नि०सं०-09-24/2015 का. 8770--श्रीमती ज्योत्सना सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-733/03), झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी हैं। इन्होंने दिनांक 22.06.1995 को सेवा में योगदान दिया है तथा संप्रति अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर कार्यरत हैं।

2. श्रीमती सिंह के विरुद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदवा, लातेहार के पद पर कार्यावधि में रोकड़ पंजी में छेड़छाड़ कर सरकारी राशि के अधिकाई व्यय / दुर्विनियोग के आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या 6518 दिनांक 25.05.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी। उक्त विभागीय कार्यवाही में विभागीय संकल्प संख्या 26125 (HRMS) दिनांक 15.10.2019 द्वारा श्रीमती सिंह को संचयात्मक प्रभाव से 03 वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया था।

3. उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्रीमती सिंह द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया। विभागीय संकल्प संख्या 5451 (HRMS) दिनांक 19.05.2020 द्वारा श्रीमती सिंह के उपरोक्त पुनर्विचार अभ्यावेदन को अपीलीय प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत किया गया तथा उनके विरुद्ध अधिरोपित दण्ड को यथावत रखा गया।

4. अपीलीय प्राधिकार द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किए जाने की कार्रवाई के विरुद्ध श्रीमती सिंह द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में याचिका WP (S) No. 2005/2020 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 09.09.2022 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"45. While considering the present case in the light of the aforesaid judgement, this Court finds no error, much less any manifest error of law and procedure leading to any injustice to the petitioner. It is well settled that judicial review is an evaluation of the decision-making process, and not the merits of the decision itself. Judicial review seeks to ensure fairness in treatment and not fairness of conclusion. There is no allegation of any bias and no case has been made out alleging gross unreasonableness of outcome. There is no scope for reconsidering the materials produced before the enquiry officer and coming to a different finding. All the issues framed based on the arguments of the parties having been decided in favour of the Respondents as aforesaid, there is no scope for any interference in the impugned order and proceedings under Article 226 of the Constitution of India. Accordingly, the present writ petition is dismissed.

46. Pending interlocutory application, if any, is closed.

5. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती सिंह के उपरोक्त याचिका को dismiss कर दिए जाने कारण श्रीमती सिंह ने माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA No. 467/2022 ज्योत्सना सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया, जिसमें दिनांक 29.03.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"12. Thus, the Letters Patent Appeal is allowed. The judgment passed by the learned Single Judge dated 09.09.2022 in W.P.(S) No. 2005 of 2020 is hereby, set aside. The writ petition filed by the writ petitioner is allowed. Writ of certiorari is issued quashing the chargesheet, the enquiry report, the order passed by the appellate and revisional authority as well as the punishment awarded by the disciplinary authority. A writ of mandamus is issued to consider the consequential benefits of the writ petitioner including consideration of her case for promotion with retrospective effect."

6. LPA No. 467/2022 में दिनांक 29.03.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्रीमती ज्योत्सना सिंह, झा०प्र०से० के मामले में विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई :-

- (i) श्रीमती सिंह के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या 26125 (HRMS) दिनांक 15.10.2019 द्वारा अधिरोपित दण्ड को विभागीय संकल्प संख्या 21762 (HRMS) दिनांक 21.06. 2023 द्वारा विलोपित करने का निर्णय लिया गया ।
- (ii) विभागीय संकल्प संख्या 6518 दिनांक 25.05.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के फलस्वरूप प्रोन्नति में हुए विलंब के कारण श्रीमती सिंह को विभागीय संकल्प संख्या 3286 दिनांक 04.04.2014 तथा विभागीय संकल्प संख्या 10483 दिनांक 24.10.2014 के

आलोक में कालावधि में छुट का लाभ अनुमान्य नहीं किया गया। श्रीमती सिंह का संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु 5 वर्ष की कालावधि दिनांक 19.05.2020 को पूर्ण हो रही थी। तत्पश्चात संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की अगली बैठक दिनांक 28.11.2022 को सम्पन्न हुई एवं तत्संबंधी अधिसूचना दिनांक 30.11.2022 को निर्गत किया गया।

अतएव विभागीय संकल्प संख्या 1472 दिनांक 27.02.2024 द्वारा श्रीमती सिंह को विभागीय अधिसूचना संख्या 7214 दिनांक 26.12.2023 द्वारा पूर्व में संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति के स्थान पर दिनांक 30.11.2022 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की गई। झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के आलोक में प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य किया गया।

7. उल्लेखनीय है कि LPA No. 467/2022 में दिनांक 29.03.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु श्रीमती सिंह द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में Cont. (Civil) Case No. 61/2024 दायर किया गया था।

LPA No. 467/2022 में दिनांक 29.03.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में विभाग द्वारा की गई उपरोक्त कार्रवाई की सूचना के साथ विभाग द्वारा कारण पृच्छा दायर किया गया, जिसके आधार पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2024 को पारित आदेश द्वारा अवमानना की कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया।

8. दिनांक 13.03.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान नहीं किए जाने तथा प्रोन्नति का वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किए जाने के कारण Cont. (Civil) Case No. 61/2024 में पारित आदेश के विरुद्ध श्रीमती सिंह द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP (Civil) No. 15932/2024 ज्योत्सना सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

9. SLP (Civil) No. 15932/2024 ज्योत्सना सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 22.09.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"9. The punishment has been set aside and the departmental proceeding found to be in violation of established principles. Consequential benefits including retrospective promotion was directed. The appellant should be considered for promotion from the date on which her immediate junior, Mrs. Uma Mahato was considered in the DPC. Since there is no other allegation against the appellant in strict compliance/directions issued by the Division Bench in LPA No.467 of 2022, the State ought to have promoted the appellant to the post of Joint Secretary, on the date on which her immediate junior, Mrs. Uma Mahato was promoted; giving her relaxation in the minimum experience for consideration for promotion as has been done in the case of Mrs. Uma Mahato.

10. The appellant is also entitled to consequential benefits as directed in LPA No.467 of 2022 which includes the entire pay and allowances and also, in the event of the appellant having retired, fixation of pension as per the last pay drawn on the retrospective promotion granted. Appropriate orders shall be passed by the respondents, and the appellant shall be paid the entire arrears of pay and allowances as a Joint Secretary right from the date on which her immediate junior, Mrs. Uma Mahato was promoted and her pension shall be refixed and arrears paid accordingly, if she has retired.

11. The above exercise shall be completed within a period of four months and the entire amounts due shall be paid to the appellant within the stipulated time, along with the written computation of the financial facilities granted on such retrospective promotion. There shall be no interest claimed by the appellant if the amounts are paid within the stipulated time and if the State fails to carry out the directions in this judgment, the appellant shall be entitled to 7% interest on the arrears computed, from today and if the failure to comply with the directions in this judgment is by any officer/s of the State, the State shall be free to recover the additional liability of interest from such officers/employees occasioning the delay after issuing notice and taking appropriate proceedings against the said officers/employees.

12. The appeal stands allowed with the above directions.

13. Pending application(s), if any, shall stand disposed of."

10. उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.01.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में किए गए अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 792 दिनांक 03.02.2020 द्वारा श्रीमती उमा महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-734/03) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

विभागीय अधिसूचना संख्या 1874 दिनांक 13.03.2020 द्वारा श्रीमती उमा महतो, तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया गया था। उक्त के आलोक में श्रीमती महतो को प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ दिनांक 13.03.2020 के प्रभाव से प्राप्त हुआ है।

11. विदित हो कि दिनांक 16.01.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्रीमती ज्योत्सना सिंह को विभागीय संकल्प संख्या 26125 (HRMS) दिनांक 15.10.2019 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रभावी रहने के कारण प्रोन्नति के अयोग्य की अनुशंसा की गयी थी।

12. LPA No. 467/2022 में दिनांक 29.03.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 26125 दिनांक 15.10.2019 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को विभागीय संकल्प संख्या 21762 दिनांक 21.06.2023 द्वारा विलोपित कर दिया गया है ।

13. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में SLP (Civil) No. 15932/2024 ज्योत्सना सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 22.09.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में निम्न निर्णय लिया गया है:-

- (i) श्रीमती ज्योत्सना सिंह, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-733/03) को विभागीय संकल्प संख्या 1472 दिनांक 27.02.2024 द्वारा दिनांक 30.11.2022 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त वैचारिक प्रोन्नति के स्थान पर उनसे कनीय श्रीमती उमा महतो, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-734/03) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि दिनांक 03.02.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए दिनांक 13.03.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नत पद का सभी वास्तविक वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है ।
- (ii) श्रीमती ज्योत्सना सिंह, झांप्र०से० को दिनांक 13.03.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से सभी वास्तविक वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु इनके मामले में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के प्रावधानों को क्षान्त किया जाता है।

- इसे पूर्वोद्धारण नहीं समझा जाएगा ।

14. उक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 23.12.2025 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या- 29 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु
सरकार के संयुक्त सचिव ।
